

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225011
SG-DL-E-09022021-225011

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/ माघ 19, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 313
No. 50]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942	[N. C. T. D. No. 313

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

सं0फां0 6/8/2020—न्याय/अधी.विधि./177-191.— निम्नलिखित को सामान्य जनसूचना के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.—

“दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987, विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित की धारा-6 (2) (ब) का अनुसरण में, राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य

न्यायाधीश के परामर्श से, माननीय न्यायाधिपति श्री विपिन सांघी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, को दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण में कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। ”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2021

No.F.6/8/2020-Judl./Suptlaw/177-191.—The following is hereby published for general information of the public.—

In exercise of the power conferred by sub-section 6 (2) (b) of the Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002, read with rule 3 of the Delhi Legal Services Authorities Rules, 1996, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, in consultation with Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Vipin Sanghi, Judge, High Court of Delhi as Executive Chairman of Delhi State Legal Services Authority.

By Orders and in the Name of the
Hon'ble Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)